

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दिनिक बजार्य सूची

मुख्यालय, दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 (अम्बायण 15, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कल वित्तित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) दर्शकी बनवारीलाल अमावास, धावरकल्द गैहोल, बडबन नाथक, सदस्य, राघवाड जिले के सरिया धानान्तरगत चौपाल कारीलम के दोरान एवं महिला सरपंच के साथ बलात्कार का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वांगी धनश्याम सिंह, सोनेशम कुशवाह, सदस्य, प्रदेश के डबरा एवं कैलारस स्थित शक्कर कारखाना नामिको द्वारा कुषको को निकित गांश का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) डॉ. गौरीशक्कर शेजवार, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आस्था अभियान की दान राशि में हेतुफेश किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य, भरतगुजा ज़िले के जैकुण्ठपुर एवं अम्बिकापुर में इकट्ठी की अनेक घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश अनुसुचित जाति, अनुशूचित जनजाति तथा फिल्ड वर्ग आद्यों की छित्रीय रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा आयोग के छित्रीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्रवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा (लाम्पा).

नियोजित

समय

1 घन्टा

(2) मध्य प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का व्यारहवी और बारहवी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पर चर्चा

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मन्त्रियों एवं अन्य सेक्रेटरी रोगों के प्रकोप तथा विकितसा व्यावस्था से उत्पन्न शिक्षित के सांघ में सर्वांगी रामनखन शर्मा, बडबन नाथक, रविन्द्र चौके, गौरीशक्कर बिरेन, नेपीचंद जैन, धनेश पटिला, डॉ. गौरीशक्कर शेजवार, श्री बनवारीलाल अमावास तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठाएंगे।

भोपाल :
दिनांक : 5 दिसम्बर, 1995

अशोक अतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा